


e-Stamp

Stamp Duty Amount(Rs.)

(Six Hundred And Fifty only)



रक्षा कर्मी पुरस्कार



JD 0042543011

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



किरायानामा

मै कि ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति वैश्य निवासी 55 पंचायत गली नगला खरगपुर तहसील सैपळ जिला धौलपुर आधार नम्बर 9997 7764 0884

किरायेदार

व हक

मै कि रणधीर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी ऊँचा नगला तहसील व जिला भरतपुर

दुकान मालिक

यह कि दुकान मालिक की दो दुकान ऊँचा नगला तहसील व जिला भरतपुर राजस्थान को किराये पर उठाया जा रहा है जिसका एक मात्र मालिक एवं स्वामी है अन्य कोई मालिक एवं स्वामी नहीं है उक्त दुकान हर तरह से पाक साफ है जिसे ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति वैश्य निवासी 55 पंचायत गली नगला खरगपुर तहसील सैपळ जिला धौलपुर आधार नम्बर 9997 7764 0884 को दिनांक 18.05.2023 से 11 माह के लिये उठाया जा रहा है जिसकी शर्तें निम्न अनुसार तय पायी गयी है :-

1. यह कि किरायेदार उक्त दुकान का किराया 3000/- रु. प्रतिमाह के हिसाब से दुकान मालिक को अदा कर किराया प्राप्ति की रसीद किरायेदार हासिल करता रहेगा। किरायेदार ने किराया हर माह की एक तारीख से पांच तक अदा करना है।

यह कि किरायेदार उक्त दुकान में कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा। दुकान को जिस हालत में किरायेदार ने प्राप्त किया है उसी हालत में मालिक दुकान को खाली करते समय दिया जाना है।

3. यह कि किरायेदार उक्त दुकान को किसी दूसरे व्यक्ति को किराये पर नहीं उठायेगा।



20/5/23
NOTARY PUBLIC
BHARATPUR (RAJ)
श्री १०८८ १३६



2

4. यह किरायेदार उक्त दुकान में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे मालिक दुकान को आपत्ति हो ।

5. यह कि किरायेदार उक्त दुकान को खाली करता है तो एक माह पूर्व लिखित में नोटिस दुकान मालिक को देगा ।

6. यह कि यदि दुकान मालिक उक्त दुकान को खाली करवाना चाहता है तो एक माह पूर्व लिखित में नोटिस किरायेदार को देगा

7. यह कि नल व बिजली का किराया किरायेदार अलग से वहन करेगा। शर्त यह तय पायी गयी है कि यदि किरायेदारी आपसी सहमति से आगे चलती है तो किराये राशि में 10 प्रतिशत और जोड़ा जायेगा ।

अतः यह किरायानामा व दुरुस्ती होश हवास के साथ लिख दिया कि सनद रहे समय पर काम आवे व मुकाम भरतपुर दिनांक 18.05.2023

हस्ताक्षर मालिक दुकान


[Handwritten signature]

हस्ताक्षर किरायेदार

[Handwritten signature]

गवाह

गवाह



ATTESTED
23/5/23
NOTARY PUBLIC
BHARATPUR (RAJ)

[Handwritten signature]
Identified by